



भाकृअनुप – भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान  
ICAR – INDIAN INSTITUTE OF MILLETS RESEARCH

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद/Rajendranagar, Hyderabad-500030



दूरभाष : 040-24599300, फ़ैक्स : 040-24599304, ई-मेल : [millets.icar@nic.in](mailto:millets.icar@nic.in)

**विज्ञापन सं. 01/2016**

भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद), राजेन्द्रनगर, हैदराबाद में निम्नानुसार अवर श्रेणी लिपिक पद को भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	अजा/अजजा/अपिव/अनारक्षित	वेतन बैंड + ग्रेड वेतन	आयु	आवेदन प्राप्त होने की तिथि
1.	अवर श्रेणी लिपिक	एक	अनारक्षित	₹ 5200-20200/- वे.बैं. + 1900 ग्रे.वे.	18-27 वर्ष	संस्थान में आवेदन पहुंचने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात एक माह तथा अंडमान तथा निकोबार, लक्ष्यद्वीप, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर, लाहौर तथा स्पिति ज़िले एवं हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले के पंगी उपखंड या विदेश के अभ्यर्थियों हेतु 45 दिन है।

**शैक्षणिक अर्हताएं :**

- I. 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से समकक्ष अर्हता।
- II. कंप्यूटर पर टंकण की गति 35 श.प्र.मि. अंग्रेजी में या 30 श.प्र.मि. हिंदी में।

कृपया अतिरिक्त जानकारी (अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश, आवेदन प्रारूप आदि) हेतु हमारा वेबसाइट [www.millets.res.in](http://www.millets.res.in) देखें। किसी भी परिवर्तन/परवर्ती सूचनाओं हेतु हमारा वेबसाइट नियमित रूप से देखें। इस संबंध में किसी भी परिवर्तन के लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

**निदेशक**

**अ.श्रे.लि. पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश :**

1. भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में आवेदन पहुंचने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात एक माह तथा अंडमान तथा निकोबार, लक्ष्यद्वीप, भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर, लाहौर तथा स्पिति ज़िले एवं हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले के पंगी उपखंड या विदेश के अभ्यर्थियों हेतु संस्थान के कार्यालय में आवेदन पहुंचने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात 45 दिन है ।
2. निर्धारित अर्हता न्यूनतम है तथा अभ्यर्थी की उच्च अर्हता उसे लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में बुलाने हेतु हकदार नहीं बनाती है । विज्ञापन की प्रतिक्रिया स्वरूप ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा हेतु संस्थान द्वारा सभी अभ्यर्थियों को बुलाना संभव नहीं है । परीक्षा में बुलाने हेतु अभ्यर्थियों की अर्हता, अनुभव आदि के आधार पर निदेशक, भाकअनुसं के पास मानदंड निर्धारित करने का अधिकार है ।
3. आवेदनों का जांच के पश्चात अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा तथा लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा ।
4. अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार दी जाएगी ।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी समुदाय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में न होने, गैर-सक्षम प्राधिकारी द्वारा तथा अप्रैल, 2015 के पूर्व जारी होने पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।
6. भाकअनुप के कर्मचारियों हेतु उच्चतम आयु सीमा 45 वर्ष है ।
7. उक्त पद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत गैर-सरकारी हैं जो यथोचित परिवर्तनों के साथ-साथ तथा समय-समय पर यथा-संशोधित अथवा आशोधित भारत सरकार की 01.01.2004 से शुरू नई पेंशन योजना के अंतर्गत आयेंगे ।
8. ये पद पूर्ण रूप से अस्थाई हैं परंतु इन्हें नियमित रखने की संभावना है; ये पद देश के किसी भी भाग में स्थानांतरणीय है ।
9. चयनित अभ्यर्थी की भाकअनुसं के किसी भी केंद्र हैदराबाद या सोलापुर (महाराष्ट्र) अथवा वरंगल में तैनाती की जाएगी तथा उन्हें भारत के किसी स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है ।
10. अभ्यर्थी को अपनी नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ केवल संलग्न प्रपत्र (टंकित) में ही आवेदन जमा करना होगा ।
11. अभ्यर्थियों के आयु सीमा के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण तिथि, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी ।
12. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन के साथ अपने स्व-अनुप्रमाणित प्रमाण-पत्र, अंक-सूचियां, निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र तथा अन्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें ।

13. विधिवत रूप से पूर्णतः भरे गए आवेदन के साथ "ICAR Unit IIMR" के नाम पर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, बुदवेल शाखा, हैदराबाद में देय क्रॉसड डीडी के रूप में ₹ 300/- का आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय/नॉन रिफंडेबल) निदेशक, भाकअनुप-भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद-500030 को भेजा जाए । (शावि/महिला अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट है ) ।
14. आवेदन के लिफाफे के ऊपर \_\_\_\_\_ पद हेतु आवेदन अवश्य लिखें ।
15. किसी भी (डाक विलंब भी) कारण से नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा । डाक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की केवल हार्ड कॉपी पर ही विचार किया जाएगा । (वैयक्तिक रूप से अथवा कुरियर के द्वारा जमा किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।) अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि के पूर्व ही निदेशक, भाकअनुसं. में आवेदन का पहुंचना सुनिश्चित करें ।
16. अभ्यर्थियों के द्वारा चयन/परीक्षा/साक्षात्कार/नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।
17. निदेशक, भाकअनुसं को किसी भी शर्त तथा परीक्षा/साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन का अधिकार है ।
18. लिखित परीक्षा में बुलाए जाने पर किसी प्रकार का या.भ./दैं.भ. नहीं दिया जाएगा ।
19. किसी भी प्रकार का पक्ष-प्रचार (दबाव) किए जाने पर उस अभ्यर्थी को अयोग्य माना जाएगा ।

अजा - अनुसूचित जाति; अजजा - अनुसूचित जनजाति; अपिव - अन्य पिछड़ा वर्ग; शावि - शारीरिक विकलांग; भूसै - भूतपूर्व सैनिक

निदेशक

आवेदन प्रारूप

**विज्ञापन सं. 01/2016**  
**अवर श्रेणी लिपिक पद हेतु आवेदन**

उम्मीदवार की  
पारपत्र आकार की  
नवीनतम फोटो

1. पूरा नाम (बड़े अक्षरो में) :
2. पिता/पति का नाम :
3. राष्ट्रीयता :
4. जन्म-स्थान तथा तिथि :
5. आयु (आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को) :
6. लिंग (पुरुष/स्त्री) :
7. ई-मेल व मोबाईल सं. के साथ वर्तमान पता :
8. स्थाई पता :
9. अजा/अजजा/अपिव/शावि/भूसै से संबंधित :  
(यदि हां, तो उसका उल्लेख करें तथा संबंधित  
स्व-अनुप्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
10. राज्य का नाम :
11. रोजगार कार्यालय का नाम :  
पंजीकरण संख्या तथा वैधता तिथि  
(वैकल्पिक)
12. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं :

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/बोर्ड	उत्तीर्ण वर्ष	श्रेणी तथा प्राप्त अंकों का प्रतिशत	विषय

13. अनुभव, यदि कोई है (पूर्व के सभी तथा वर्तमान :  
रोजगार के अनुभव)

14. यदि आपका कोई संबंधी भाकअनुसं/भाकअनुप में :  
कार्यरत हैं तो कृपया उसके नाम, पदनाम एवं  
उस कर्मचारी से आपके संबंध का उल्लेख करें

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दिया गया विवरण मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सही है। मुझे यह पता है एवं मैं इससे सहमत हूँ कि किसी भी समय साक्षात्कार/चयन के पूर्व या बाद में कोई भी सूचना गलत/अपूर्ण या अयोग्यता पाई जाती है तो मेरी अभ्यर्थिता अस्वीकार्य की जा सकती है। मैं निदेशक, भाकअनुसं के निर्णय से आबद्ध रहूंगा।

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन के समय अन्य पिछड़ी जातियों के द्वारा प्रदेय  
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

(भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, का.आ.सं. 36033/28/94-Estt.(Res) दिनांक 2-7-  
1997)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_  
सपुत्र/सुपुत्री श्री \_\_\_\_\_ गांव  
\_\_\_\_\_ जिला/प्रभाग \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ समुदाय के  
अंतर्गत आता है जोकि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक  
\_\_\_\_\_ के संकल्प सं. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है ।

श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ तथा/अथवा उनका परिवार  
साधारणतः \_\_\_\_\_ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के \_\_\_\_\_  
जिले/प्रभाग में निवास कराता/करते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह उन व्यक्तियों/भागों (क्रीमी  
लेयर) से संबंधित नहीं है जिनका उल्लेख कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की अनुसूची के स्तंभ 3  
का.आ.सं. 36012/22/93-स्था.(SCT), दिनांक 8-9-1993 में किया गया है ।

स्थान: \_\_\_\_\_ जिला न्यायधीश/उपायुक्त आदि के हस्ताक्षर  
मुहर

\* जो लागू न हो उसे काट दें ।

नोट

(अ) ऑर्डिनरी" शब्द का अर्थ वही होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है ।

(ब) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारियों की सूची निम्नांकित है ।

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / डिप्टी  
कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वृत्तिकाग्राही मजिस्ट्रेट / उप डिवीजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट /  
कार्यपालक

मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वृत्तिकाग्राही मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी, तहसीलदार के पद से नीचे नहीं, तथा

(iv) जहां उम्मीदवार और / या उसके परिवार सामान्य रूप से रहते हैं उस क्षेत्र के के उप मंडल अधिकारी।